

202/15

अहमदाबाद  
की तारीख

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुक्म  
की तामील में जारी हुए

जो कि पूर्व में परमाप्त अवसर दिये जा  
चुके हैं अत्रार्थित में एक अन्तिम अवसर  
दिया जाकर पत्रावली बाल्ले - प्रार्थना - पत्र  
बदल हेतु दिनांक 07-09-22 को पेश  
होगा

सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा

07/9/22 को नो पत्रों के आधीवक्ता उपर  
प्रार्थना पत्र बाल्ले हेतु दिनांक 8-9-22  
को पेश हो

सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा

08-9-22 को नो पत्रों के आधीवक्ता उपर  
प्रार्थना - पत्र अन्तर्गत आदेश 01 दिनांक  
09 को पत्र बाल्ले हेतु दिनांक 01 दिनांक  
पत्रावली का अन्तर्गत दिनांक 01 दिनांक  
बाल्ले हेतु प्रार्थना पत्र निरस्त किया  
है, अत्रार्थित आदेश - का में भी  
निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाल्ले  
जवाब दिनांक 13-9-22 को पेश हो

सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा

13-9-22 को नो पत्रों के आधीवक्ता अत्रार्थित  
वकील विद्यार्थी जवाब पेश नो का  
की वी बाल्ले करना चाहते हैं,  
जो ~~बाल्ले~~ जवाब बाल्ले दिनांक 13-9-22 को पेश हो

सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा


हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियत्य जज

तारीख  
हुक्म

उपपत्र आवेदनियों को कहकर  
 मुनी गई और कहकर पर  
 प्रारंभ किया तथा पत्रावली का  
 माफ़ीरता पूर्वक अवलोकन किया  
 जिसमें पाया कि वादीनी की ओर  
 से खेवादीन शरी में खेवादीन  
 घोषणा व रकबाई निवेदाई की  
 इतनादा नहीं गई है, जो  
 मुखाद में साक्ष्य रखने के  
 आधार पर तब देता, कि  
 वादीनी / पत्रावली शहर भारत  
 करने की इकाई है अथवा नहीं।  
 एकांत हलगत उकलने में एकांत  
 आदेश जारी करने की इकाई  
 प्रतीत नहीं होती है। केनी  
 एकांत के आवेदन-पत्र निरस्त  
 भोग है।

खेवादीन पत्रावली का आवेदन पत्र  
 खारहीन तर्कों के आधार पर  
 होने के कारण खारहीन किया  
 जाता है।

पत्रावली केवल सुधार के  
 पारखित पत्रावली है।

  
 सहायक जज  
 (S.D.J.) अहमदाबाद